

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2023/ 4370

दिनांक: 26.09.2023

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 31.08.2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए प्रधान के 1, पंचायत समिति सदस्य के 7, सरपंच के 21 एवं पंच के 271 पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 26 उप सरपंचों के रिक्त पदों पर भी उपचुनाव कराए जाने हैं। जिलेवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'A' पर उपलब्ध है।

उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

➤ पंचायत समिति सदस्यों के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	16.10.2023 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	23.10.2023 (सोमवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	25.10.2023 (बुधवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	26.10.2023 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	26.10.2023 (गुरुवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान की तिथि एवं समय	05.11.2023 (रविवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7	मतगणना 1. पंचायत समिति सदस्य - पंचायत समिति मुख्यालय पर	06.11.2023 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से
8	प्रधान का चुनाव	07.11.2023 (मंगलवार)
प्रधान के चुनाव के लिए समय-सारणी		
बैठक हेतु नोटिस जारी करना		प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
बैठक का प्रारम्भ		पूर्वाह्न 10.00 बजे
नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का समय		पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा		पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
अभ्यर्थिता वापसी		अपराह्न 1.00 बजे तक
चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन		अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो		अपराह्न 3.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य
मतगणना एवं परिणाम की घोषणा		मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ सरपंच एवं पंच के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	16.10.2023 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	30.10.2023 (सोमवार) प्रातः 10.00 से सांय 5.00 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	31.10.2023(मंगलवार) प्रातः 10.00 से
4	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	31.10.2023 (मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	31.10.2023 (मंगलवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान की तिथि एवं समय	05.11.2023 (रविवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	05.11.2023 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
8	उपसरपंच का चुनाव	06.11.2023(सोमवार)
उपसरपंच के चुनाव के लिए समय-सारणी		
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

मतदाताओं की पहचान

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

● आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

संलग्न : परिशिष्ट-A

आज्ञा से,



(नारायण सिंह)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 26.09.2023

क्रमांक: एफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2023/4371-4377

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
6. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
7. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।

143
(पिकी शर्मा)

सहायक सचिव